भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2265

दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण

2265. श्री धनुष एम. कुमार :

श्री सेल्वम जी. :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार, देश, विशेषकर तमिलनाडु में कामकाजी महिला छात्रावासों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रतयेक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्मित किए गए कामकाजी महिला छात्रावासों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित/उपयोग की गई है; और

(घ) क्या मंत्रालय पहले से ही निर्मित छात्रावासों, उनकी स्थितियों और उनमें रहने वाली महिलाओं की संख्या की स्थिति पर नजर रख रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : व्यापक मिशन शक्ति के तहत सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी आवश्यकता का आकलन करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा के बाद कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाता है। तमिलनाडु सहित कार्यरत सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) और उसमें रहने वालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलगनक-I** में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान, निर्माण के लिए स्वीकृत सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23
1	मणिपुर	04	--	--
2	नागालैंड	01	--	--
3	तमिलनाडु	02	01	--
	कुल	**07**	**01**	**--**

वित्तीय वर्ष 2022-23 से, सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) में निर्माण घटक की परिकल्पना नहीं की गई है। किराए के परिसरों में सखी निवास चलाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और इसमें सखी निवास में किराया, प्रबंधन लागत, मरम्मत लागत और शिशुगृह स्थापना लागत शामिल है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (दिनांक 12.12.2023 तक) के दौरान स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) सखी निवास योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से तिमाही वास्तविक और वित्तीय प्रगति प्राप्त की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ प्रत्यक्ष और वर्चुअल बैठकों, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरे और डिजिटल मोड के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निरंतर निगरानी करता है और समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित उपाय और एडवाइज़री जारी करता है।

******

अनुलग्नक-I

'कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण' के संबंध में श्री धनुष एम कुमार और श्री सेल्वम जी, माननीय सांसद (लोक सभा) द्वारा दिनांक 15.12.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2265 के भाग (क) और (ग) में संदर्भित विवरण।

कार्यरत सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) और इसमें रहने वालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कार्यशील छात्रावासों की संख्या**	**रहने वालों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	12	389
2.	अरुणाचल प्रदेश	05	45
3.	असम	08	106
4.	चंडीगढ़	06	321
5.	छत्तीसगढ	06	210
6.	दिल्ली	17	1089
7.	गुजरात	14	856
8.	हरियाणा	07	323
9.	हिमाचल प्रदेश	06	102
10.	जम्मू एवं कश्मीर	01	08
11.	झारखंड	02	136
12.	कर्नाटक	62	3327
13.	केरल	133	7236
14.	मध्यप्रदेश	02	97
15.	महाराष्ट्र	77	4199
16.	मणिपुर	15	224
17.	मेघालय	03	213
18.	मिजोरम	03	199
19.	नगालैंड	12	281
20.	ओडिशा	12	417
21.	पुदुचेरी	04	215
22.	राजस्थान	15	280
23.	सिक्किम	01	00
24.	तमिलनाडु	20	687
25.	तेलंगाना	09	510
26.	त्रिपुरा	01	42
27.	उत्तराखंड	02	200
28.	उत्तरप्रदेश	08	310
कुल*		**463**	**22022**

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार।

अनुलग्नक-II

'कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण' के संबंध में श्री धनुष एम. कुमार और श्री सेल्वम जी. माननीय सांसद (लोक सभा) द्वारा दिनांक 15.12.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2265 के भाग (क) और (ग) में संदर्भित विवरण।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सखी निवास योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (12.12.2023 तक)
		निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां
1	असम	7.76	-	-	34.26
2	छत्तीसगढ	-	5.45	-	-
3	गुजरात	-	69.70	-	-
4	केरल	-	273.97	384.00	48.00
5	मध्य प्रदेश	-	191.19	-	-
6	महाराष्ट्र	36.38	-	-	-
7	मिजोरम	-	40.88		-
8	मणिपुर	990.61	164.70	784.85	-
9	नगालैंड	223.67	96.09	-	103.74
10	तमिलनाडु	392.18	350.25	593.94	-